न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–30/2019 RCMS NO- 2019/00052

उनवान –सरकार बनाम आनन्द मोहन भारद्वाज (विक्रेता) एवं मुकेश सिंह नोमिनी मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्रा0लि0 रीको धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) 52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –08.02.2020

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री आनन्द मोहन भारद्वाज (विक्रेता) एवं श्री मुकेश सिंह नोमिनी मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्रा0लि0 ग्रोथ सेंटर एक्सटेशन रीको धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.06.2017 को अप्रार्थीगण की डेयरी मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्रा0लि0 ग्रोथ सेंटर एक्सटेशन रीको धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान डेयरी में लगभग 225 लीटर घी (पालीवाल) 1–1 लीटर के जारो में आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस घी में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त घी(पालीवाल) के 4 डिब्बे 1–1 लीटर के वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया उक्त घी(पालीवाल) नमूना डी–1341 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2017 के अनुसार उक्त घी(पालीवाल) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्राण्ड घी(पालीवाल) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिसब्राण्ड घी(पालीवाल) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण श्री आनन्द मोहन भारद्वाज (विक्रेता) एवं श्री मुकेश सिंह नोमिनी मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्रा0लि0 ग्रोथ सेंटर एक्सटेशन रीको धौलपुर पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 3,000/–रुपये (तीन हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के. वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)